सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 05/2015

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक पुत्र श्री अशोक जैन जाति जैन निवासी सी–43 न्यू नाकोड़ा कॉलोनी, बारां **(विक्रेता एवं मालिक)**
2. मेसर्स चम्बल डेयरी एण्ड स्वीट्स, सत्संग भवन के पास, बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री प्रियदर्शन शर्मा एडवोकेट (अप्राथी की ओर से)

निर्णय दिनांक 13.07.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.01.2015 को समय 9.15 ए.एम. पर मेसर्स चम्बल डेयरी एण्ड स्वीट्स, सत्संग भवन के पास, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक पुत्र श्री अशोक जैन **(विक्रेता एवं मालिक)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** 20 लीटर स्टील की टंकी में रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उसमें से **भैंस का दूध** विक्रेता से 02 लीटर हिला मिलाकर एक समरूप करके वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 100/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **भैंस का दूध** 02 लीटर को चार नमूना भाग में कर खाली साफ एवं सुखी कांच के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/ 2015/55 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक FSSL/Kota/ 2015/220 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **भैंस का दूध**

अति. जिला मजिस्ट्रेट

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी काश्तकार उत्पादकों से उनका दूध रोजाना एकत्रित करता है तथा उसको तत्काल उपभोक्ताओं को विक्रय कर देता है। उक्त दूध के निर्माण एवं उत्पादन में अप्रार्थी की कोई भूमिका नहीं होती है दुग्ध उत्पादकों से जैसा उत्पादन प्राप्त होता है उसको उसी रूप में अप्रार्थी द्वारा तत्काल विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। उक्त दूध मानव जीवन के लिये हानिकारक होना नहीं बताया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी काश्तकार उत्पादकों से उनका दूध रोजाना एकत्रित करता है तथा उसको तत्काल उपभोक्ताओं को विक्रय कर देता है। उक्त दूध के निर्माण एवं उत्पादन में अप्रार्थी की कोई भूमिका नहीं होती है दुग्ध उत्पादकों से जैसा उत्पादन प्राप्त होता है उसको उसी रूप में अप्रार्थी द्वारा तत्काल विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की गई। सेम्पल लेने एवं रिपोर्ट आने में काफी दिनों का अन्तर है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी काश्तकार उत्पादकों से उनका दूध रोजाना एकत्रित करता है तथा उसको तत्काल उपभोक्ताओं को विक्रय कर देता है। उक्त दूध के निर्माण एवं उत्पादन में अप्रार्थी की कोई भूमिका नहीं होती है दुग्ध उत्पादकों से जैसा उत्पादन प्राप्त होता है उसको उसी रूप में अप्रार्थी द्वारा तत्काल विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। उक्त दूध मानव जीवन के लिये हानिकारक होना नहीं बताया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी काश्तकार उत्पादकों से उनका दूध रोजाना एकत्रित करता है तथा उसको तत्काल उपभोक्ताओं को विक्रय कर देता है। उक्त दूध के निर्माण एवं उत्पादन में अप्रार्थी की कोई भूमिका नहीं होती है दुग्ध उत्पादकों से जैसा उत्पादन प्राप्त होता है उसको उसी रूप में अप्रार्थी द्वारा तत्काल विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की गई। सेम्पल लेने एवं रिपोर्ट आने में काफी दिनों का अन्तर है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)